न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर (रूद्रपुर)

उपस्थित- रजनी शुक्ला, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-268 वर्ष 2023

शाजिद उर्फ सज्जू पुत्र अब्दुल रशीद
निवासी-ग्राम सरबरखेड़ा थाना कुण्डा
जिला-ऊधम सिंह नगर। .... अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तरखण्ड।

मुकदमा एफ0आई0आर संख्या 314 वर्ष 2022
धारा-379, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता
थाना-कुण्डा, जिला-ऊधम सिंह नगर।

अभियुक्त के विद्वान अधिक्ता- श्री एम0पी0सिंह
अभियोजन की ओर से-श्री एन0एस0धामी, डी0जी0सी0(फौजदारी)

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त शाजिद उर्फ सज्जू द्वारा थाना-कुण्डा में पंजीकृत अभियोग मुकदमा एफ0आई0आर संख्या 314/2022 अन्तर्गत धारा-379, 411, 34 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध में जमानत दिये जाने हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-439 दण्ड प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया है।

2. मेरे द्वारा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा जमानत प्रार्थना पत्र व पत्रावली पर उपलब्ध आवश्यक प्रपत्रों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

3. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत के सम्बन्ध में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है उसको कतई झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने वादी की कोई मोटरसाईकिल चोरी नहीं की है ना ही उसके पास से चोरी की कोई मोटरसाईकिल बरामद हुई है। पुलिस द्वारा अभियुक्त से नम्बर प्लेट की झूठी बरामदगी दिखायी गयी है। बरामदगी का कोई स्वतंत्र जन साक्षी नही है। प्रथम सूचना रिपार्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। अपराध मजिस्ट्रेट

न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्त दिनांक 28.01.2023 से जेल में है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग नहीं करेगा।

4. अभियोजन की ओर से विद्वान डी0जी0सी0 (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का प्रबल विरोध करते हुए यह तर्क दिया गया है कि दिनांक 01.12.2022 चोरों द्वारा नवजीवन अस्पताल की पार्किंग में खड़ी वादी की मोटरसाईकिल नम्बर यू0पी–21बी0एच–8864 चोरी कर ली गयी। दौराने विवेचना अभियुक्त के कब्जे से वादी की मोटरसाईकिल की नम्बर प्लेट बरामद हुई है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

5. इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि घटना दिनांक 01.12.2022 की है। जबकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 03.12.2022 को दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 28.01.2023 से जेल में है। अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। मामले के गुणदोष पर जाए बिना, अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार प्रतीत होता है।

6. तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त शाजिद उर्फ सज्जू को उसके द्वारा ₹ 40,000/– का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा इसी धनराशि के दो विश्वसनीय जमानती सम्बन्धित विद्वान मजिस्ट्रेट की सन्तुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाय।

दिनांक 10.02.2023

(रजनी शुक्ला)

प्रभारी–सत्र न्यायाधीश, ऊधम सिंह नगर।